कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, धौलपुर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा/अ–2/21313/ वो–2/ 2013–14 दिनांक 7/5/13 के द्वारा अनुमोदन करने के उपरान्त निम्न गैर सरकारी [illegible] शिक्षण संस्थाओं को वर्ष 2013–14 में उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन संस्थाओं को क्रमोन्नति निम्न शर्तो के अधीन जारी की जा रही है।

1–सभी संस्थाओ को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।

2–समस्त गैर सरकारी संस्थाओ को आदेश जारी होने के बाद मा0 शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अस्थायी [illegible] प्रपत्र–क–भरकर मय शुल्क के शीघ्र मा0शिक्षा बोर्ड को जमा कराना होगा। अन्यथा क्रमोन्नति आदेश [illegible] सत्र के लिए प्रभावी नहीं माने जावेगें।

3–समय पर प्रपत्र–क भरकर बोर्ड को प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षार्थियो की परीक्षा से [illegible] भुगतान के लिए सबंधित संस्थाप्रधान ही जिम्मेदार होंगे।

4–सत्र 2013–14 में कक्षा 11 तथा सत्र 2014–15 में कक्षा 12 प्रारम्भ करनी होगी।

5–संस्था को समय पर सक्षम अधिकारी का भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को प्रस्तुत करना होगा।

6–संस्था को राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।

7–विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व नियमानुसार विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

8–राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों /नियमों/निर्देशो की पालना संस्था को करनी होगी तथा वांछित अभिलेख एवं सूचना उपलब्ध करानी होगी।

9–विद्यालय का समय–समय पर भौतिक एवं वित्तीय निरीक्षण करवाया जावेगा। यदि संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के निर्बन्धों एवं शर्तो की पूर्ति एव राज्य सरकार [illegible] जारी निर्देशो की पालना तथा भौतिक एवं वित्तीय मानदण्डों में कमीं पाई गई तो संस्था के विरुद्ध [illegible] मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

10–कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 201[illegible] की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

क्र0सं0	संस्था का नाम	माध्यम	उच्च माध्यमिक स्तर पर संकाय एवं विषय
1	किड्स पैराडाइज मावि बाडी	अंग्रेजी	विज्ञान–जीव विज्ञान,भौतिक विज्ञान ,रसायन विज्ञान, [illegible]
2	माँ पीताम्बिरा मावि बाडी	हिन्दी	वाणिज्य–व्या0संगठन, लेखाशस्त्र, अर्थशास्त्र
3	माँ भगवती विद्यापीठ तसीमों	हिन्दी	कला–हिन्दी ऐ0, अंग्रेजी ऐ0,संस्कृत,राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,भूगोल,,गृह विज्ञान

ह0/–
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर

14/05/2013

क्रमांक–जिशिअ/मा/धौ/संस्था–2/13/2436

प्रतिलिपि–
1–श्रीमान शासन उप सचिव स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) शासन सचिवालय,जयपुर।
2–श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
3–श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड. राजस्थान अजमेर।
4–श्रीमान शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक भरतपुर संभाग भरतपुर।
5–सबंधित विद्यालय माँ भगवती विद्यापीठ, तसीमों, धौलपुर
6–नोटिस बोर्ड।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक, धौलपुर